भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- †*149
उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं

†*149. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: -

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना लागू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषत: गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) एवं (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं' के संबंध में डॉ. नामदेव किरसान, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*149 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निम्नलिखित 5 छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

i. अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)

ii. अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)

iii. अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमफिल और पीएचडी के लिए)

iv. अजजा छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी के संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए)

v. अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (विदेश में उच्च अध्ययन के लिए)

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जो आवेदन आमंत्रित करने, छात्रों का सत्यापन करने और निधियां (धनराशि) जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

हालांकि, महाराष्ट्र राज्य सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की केवल मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रही है। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बताया है कि वे राज्य में कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शैक्षिक खर्चों को कवर करने के लिए प्रोत्साहन योजना के रूप में 31.05.2010 के सरकारी संकल्प के अनुसार वर्ष 2010-11 से स्वर्ण जयंती पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना (100% राज्य सरकार की योजना) को लागू कर रहे हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद भारत में पीएचडी करने के लिए अजजा छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर साल नई अध्येतावृत्ति के लिए 750 स्लॉट हैं। अध्येतावृत्ति का मूल्य यूजीसी दरों के बराबर है। विस्तृत दिशा-निर्देशों और आगे की विस्तृत जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (tribal.nic.in) और परफॉरमेंस डैशबोर्ड (dashboard.tribal.gov.in) पर जाया जा सकता है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों और जारी की गई निधियों का विवरण और गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

अनुलग्नक-I

'जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं' के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*149 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विवरण			
वित्तीय वर्ष	निर्मुक्ति निधि (लाख रुपए में)	उपयोग की गई निधि (लाख रुपये में)	छात्रवृत्ति का भुगतान पाने वाले लाभार्थियों की संख्या
2019-20	1263.95	1263.95	12427
2020-21	1545.11	1545.11	11033
2021-22	1630.62	1630.62	13255
2022-23	1767.82	1767.82	13419
2023-24	1653.49	1653.49	11953

गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत विवरण		
वित्तीय वर्ष	निर्मुक्ति निधि (लाख रुपए में)	अध्येतावृत्ति का भुगतान पाने वाले लाभार्थियों की संख्या
2019-2020	18.90	6
2020-2021	15.77	7
2021-2022	41.67	9
2022-2023	26.46	7
2023-2024	14.66	5

*****